राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.4(9)वित्त/आब/2001 पार्ट   जयपुर, दिनांकः 15 जनवरी, 2021

आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अजमेर जिले की पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण की ग्राम पंचायत सेन्दरिया, कायड़, नारेली, घूघरा, माकड़वाली, हाथीखेड़ा, तबीजी, दौराई एवं सोमलपुर तथा जयपुर जिले की पंचायत समिति किशनगढ़ रेनवाल की ग्राम पंचायत मूण्डलीरणजीतपुरा के पंच एवं सरपंच के आम चुनाव माह जनवरी, 2021 में करवाये जाने हेतु चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 22क के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135–ग के प्रावधान इस आम चुनाव में भी लागू होंगे।

अतः पंचायत राज संस्थाओं के संलग्न कार्यक्रम के अनुसार संबंधित चुनाव क्षेत्रों में राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त ग्राम पंचायतों में तथा इनसे लगते हुए 5. कि.मी. परिधीय क्षेत्र में **दिनांक 20.01.2021 को सायं 5.00 बजे से दिनांक 22.01.2021 को मतगणना समाप्ति तक** सूखा दिवस घोषित किया जाता है।

संलग्न : **उपरोक्तानुसार**

आज्ञा से,

(औंकरमल राजोतिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को पत्र क्रमांक एफ.7(1)(1)पंचा/रानिआ/2021/303 दिनांक 11.01.2021 के संदर्भ में।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि संबंधित अधिकारियों को निर्देश प्रदान करें कि मदिरा की बिक्री, व्यक्तियों द्वारा संग्रहण तथा वितरण से संबंधित मद्य निषेध नियमों व आदेशों/निर्देशों की सख्ती से पालना करें।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जयपुर।
7. तकनीकी निदेशक, (कम्प्यूटर सैल) वित्त विभाग।
8. जिला कलेक्टर, **अजमेर/जयपुर**
9. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, **अजमेर/जयपुर**
10. जिला आबकारी अधिकारी, **अजमेर/जयपुर ग्रामीण**
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवंPh. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

माह जनवरी, 2021 में होने वाले 10 ग्राम पंचायतों के आम चुनाव हेतु कार्यक्रम

(अजमेर जिले की पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण की ग्राम पंचायत सेन्दरिया, कायड़, नारेली, घूघरा, माकड़वाली, हाथीखेड़ा, तबीजी, दौराई एवं सोमलपुर तथा जयपुर जिले की पंचायत समिति किशनगढ़ रेनवाल की ग्राम पंचायत मूण्डलीरणजीतपुरा)

क्र.स.	कार्य का विवरण	तिथियां
1	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 23 सपठित 56 के अन्तर्गत निर्वाचन की लोकसूचना जारी करने की तिथि	15.01.2021 (शुक्रवार)
2	नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि एवं समय	16.01.2021 (शनिवार) प्रातः 10.30 से सांय 4.30 तक
3	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि एवं समय	17.01.2021 (रविवार) प्रातः 10.30 से
4	नाम वापसी की तिथि एवं समय	17.01.2021 (रविवार) अपरान्ह 3.00 बजे तक
5	चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन	17.01.2021 (रविवार) नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात्
6	मतदान दलों का प्रस्थान/पहुँच	21.01.2021 (गुरूवार)
7	मतदान की तिथि एवं समय	22.01.2021 (शुक्रवार) प्रातः 8.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक
8	मतगणना (पंचायत मुख्यालय पर)	22.01.2021 (शुक्रवार) मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्
9	उपसरपंच का चुनाव	23.01.2021 (शनिवार)
	उपसरपंच के चुनाव के लिए समय–सारणी	
	1. बैठक हेतु नोटिस जारी करना	प्रातः 09.00 बजे से पूर्व
	2. बैठक का प्रारम्भ	पूर्वाह्न 10.00 बजे
	3. नाम निर्देशन पत्र/प्रस्तावों के प्रस्तुतिकरण का समय	पूर्वाह्न 11.00 बजे तक
	4. नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा	पूर्वाह्न 11.30 बजे तक
	5. चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना एवं चुनाव चिन्हों का आवंटन	पूर्वाह्न 11.30 से अपराह्न 12.00 बजे तक
	6. मतदान, यदि आवश्यक हुआ तो	अपराह्न 12.00 बजे से 01.00 बजे के मध्य
	7. मतगणना एवं परिणाम की घोषणा	मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्